(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :–   07 / 2025

पंजीकरण संख्या :–   2025 / 47

बउनवान

रफीक अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी ग्राम बड़ौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 23.06.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.04.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां के ग्राम अचलपुरा की गोपीलाल वल्द शंकर सहरिया के खाते की खसरा नं. 17 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा का प्रकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर, छीपाबड़ौद में प्रकरण संख्या 144 / 17 बउनवान बद्रीलाल वगैराह बनाम गोपीलाल सहरिया विचाराधीन है जिससे संबंधित 04 बिंदुओं की सूचना चाही गई है जो निम्नलिखित है :–

1. उक्त प्रकरण का न्यायालय के द्वारा निपटान कर दिया गया या प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।
2. अगर माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण का फैसला सुना दिया गया हो तो किसके हक मे सुनाया गया व कौनसी तारीख में ?
3. उक्त भूमि की खातेदारी सहरिया (एस.सी.) की थी। यह भूमि किसी ओर के नाम पर खातेदारी में जा सकती है ?
4. उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
5.

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद को जरिये सम्मन क्रमांक 390–391 दिनांक 03.06.2025 से तलब कर प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड क्रमांक 390–391 दिनांक 03.06.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / रीडर / आरटीआई / 2025 / 133 दिनांक 11.06.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 16.04.2025, कार्यालय को प्राप्त नहीं

होने के कारण सूचना नहीं भिजवाई जा सकी। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2025/132 दिनांक 11.06.2025 से अपीलार्थी को बिंदुवार निम्नानुसार सूचित कर दिया गया है :–

क्र.सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1.	उक्त प्रकरण का न्यायालय के द्वारा निपटान कर दिया गया या प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है।
2.	अगर माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण का फैसला सुना दिया गया हो तो किसके हक मे सुनाया गया व कौनसी तारीख में ?	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है।
3.	उक्त भूमि की खातेदारी सहरिया (एस.सी.) की थी। यह भूमि किसी ओर के नाम पर खातेदारी में जा सकती है ?	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है।
4.	उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का श्रम करें।	चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिंदुवार जवाब से लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2025/132–133 दिनांक 11.06.2025 से इस न्यायालय में भिजवाते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:44:24 IST
Reason: SelfAttested